

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक:-एफ 3(2)()बजट/सान्याअवि/2020-21 / 480 L

जयपुर, दिनांक: 11/1/21

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,
प्रधानाचार्य, समस्त राज. आवासीय विद्यालय,
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम,
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषय:-राजकीय विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सृजित देयताओं के
एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली पर अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रसंग:-वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75)
डीटीए /IFMS 2306-2555 दि 28.12.2020के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा
राजकीय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्वीकृत प्रावधानों एवं प्राधिकृत वित्तीय शक्तियों की
पालना करते हुये ही कार्य संचालन से सम्बंधित देयता सृजित करने एवं संदर्भित देयताओं को
एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में पे-मैनेजर पर अंकित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी
किये गये हैं। परिपत्र वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.rajasthan.gov.in से
डाउनलोड करते हुये उसमें प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अति०/उप निदेशक,पिछडीजाति/अत्याचार निवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा /छात्रवृत्ति
एवं छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/पेंशन/योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई०टी०)को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार